of police station Hauz Khas and Vasant Kunj is as under:

Crime	P.S. Hauz Khas	P.S. Vasant Kunj
Theft	137	98
Burglary	18	12

(d) The listed criminals and suspects are being throughly interrograted. Door to door survey has been conducted for the verification of domestic servants. Patrolling has been intensified in the area. The resients are being apprised with the security measures to the taken by them. Neighbourhood watch scheme has been started in these areas. Extra pickets are being laid during night hours in the crime infested areas.

बिहार के मधुबनी जिले में कार्यरथ प्लाइवुड कारखाने

*218. **श्री राम देव भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबन जिला में प्लाईवुड के कितने कारखाने कार्यरत हैं;

(ख) क्या उपरोक्त वर्णित कारखानों की संख्या इस जिले में वृक्षों की संख्या की तुलना में काफी ज्यादा है;

(ग) क्या इस कारखानों के कारण वृक्षों को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की शीघ्र जांच कराकर वृक्षों का कटाव रोकने के लिए बड़ी पैमाने पर कारखानों को बन्द करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजकोट में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना

219. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजकोट में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास की व्यापक संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) जी नहीं।

(ख) स (ग) गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास की संभावना है। खाध प्रसंस्करण उद्योग के निवेश को प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार ने अपनी नीतियों को उदार बनाया है और अल्कोहल पेयों की किण्वन और आसवन, चीनी व लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति भी देती है। विदेशी प्रोद्यौगिकी करारों का उदारीकरण व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए वित्तीय राहतों जैसे कई अन्य प्रोत्साहन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। मंत्रालय कुछ योजना स्कीमें भी चला रहा है जिनके तहत संयुक्त उद्यम, सहायता प्राप्त/सहकारी क्षेत्रों या निजी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों को स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हुए प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

गुजरात में प्रदूषण

220. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए पहले से चलाई जा रही प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण को रोकने में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुजरात के प्रमुख शहरों में प्रदूषण के स्तरों में कोई विशेष रुख नहीं देखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) वायु और जल को प्रदूषित करने के संभावना वाले उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करें। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में 167 इकाइयों में से 167 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित कर ली हैं और ये निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं, दो इकाइयां बन्द हैं तथा बाकी 8 इकाइयों ने प्रदूषण सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(च) गुजरात के प्रमुख शहरों में प्रदूषण स्तरों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अगले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है।

3. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक समय-बद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण अवकरण स्थापित करें तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

4. विनिर्माण तथा प्रयोग में लाए जा रहे, दोनों प्रकार के वाहनों के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के प्रभावी पालन के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। विनिर्माण स्तर पर वाहनों के लिए कठोर मानक पहली अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।

5. उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

6. उद्योगों को कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें।

7. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझे वहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

8. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए तथा उद्योगों की भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए स्वरित अवमूल्यन प्रदान किया जाता है।

9. प्रदूषण नियंत्रण / निगरानी उपकरणों के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

10. केन्द्रीय प्रदूषण नियनत्रण बोर्ड ने उद्योगों और मोटर-गाड़ियों के अलावा अन्य स्रोतों से शोर प्रदूषण के लिए प्रक्रिया संहिताएं तैयार की हैं। इनमें सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली, वायुयान आपरेशन, रेलवे आपरेशन, निर्माण गतिविधियां तथा पटाखे फोड़ना शामिल हैं। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे संगत स्थानीय अधिनियमों के तहत इन प्रक्रिया संहिताओं की कार्यान्वित करें।

11. मोटर-गाड़ियों, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण उपकरणों के लिए शोर सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।

Granting of permits / lease for fishing

221. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the number of permits / lease granted for joint ventures for test fishing in the Food Processing sector since July, 1990;

(b) whether Government have now changed its policy and cancelled all these permits; and

(c) if so, the reasosn for taking such decision?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Eight companies were granted approval for operation of 15 vessels under test fishing. These approvals have since expired. At present, there is no valid approval for test fishing.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.